संख्या-15/2026/I/1272927/2026/11-4099/1/2022

प्रेषक,

अरविन्द सिंह,
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
राज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

राज्य कर अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांक 19 मार्च, 2026**

विषयः- राज्य कर विभाग में ऑन लाईन सेवाओं के संचालन हेतु 112 लोकेशनों पर भारत संचार निगम लिमिटेड से 03 वर्ष के लिए प्राइमरी लीज लाइन कनेक्टिविटी सेवा प्राप्त किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-आई0टी0-प्राइमेरी लीजलाइन समन्वय (जेम पोर्टल) 1/2025-26/7657/राज्य कर, दिनांक 10.11.2025 एवं पत्र संख्या-आई0टी0-प्राइमरी लीजलाइन कनेक्टिविटी (जेम पोर्टल)/2025-26/1114/राज्य कर, दिनांक 28.02.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य कर विभाग में ऑन लाईन सेवाओं के संचालन हेतु 112 लोकेशनों पर प्राइमरी लीज लाइन कनेक्टिविटी सेवा तीन वर्षों (03) के लिये (दिनाक 03.11.2025 से 02.11.2028 तक) प्राप्त किये जाने हेतु जेम पोर्टल पर प्राप्त एल0-1 फर्म-भारत संचार निगम लिमिटेड (बी0एस0एन0एल0) द्वारा कोट की गयी दर रु0 521.3393696 लाख (रूपया पाच करोड़ इक्कीस लाख तैतीस हजार नौ सौ छत्तीस रुपया छियानब्ये पैसा मात्र) (समस्त कर सहित) का व्यय, अनुदान संख्या-89 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2040-800-09-जी0एस0टी0एन0 से सम्बधित व्यय के मानक मद-13-टेलीफोन पर व्यय से किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **राज्य कर विभाग में ऑन लाईन सेवाओं के संचालन हेतु 112 लोकेशनों पर प्राइमरी लीज लाइन कनेक्टिविटी सेवा 03 वर्षों के लिये (दिनाक 03.11.2025 से 02.11.2028 तक) प्राप्त किये जाने** हेतु जेम पोर्टल पर प्राप्त एल0-1 फर्म-भारत संचार निगम लिमिटेड (बी0एस0एन0एल0) द्वारा कोट की गयी दर **रु0 521.3393696 लाख (रूपया पाच करोड़ इक्कीस लाख तैतीस हजार नौ सौ छत्तीस रुपया छियानब्ये पैसा मात्र) (समस्त कर सहित)** का व्यय, अनुदान संख्या-89 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2040-800-09-जी0एस0टी0एन0 से सम्बधित व्यय के मानक मद-13-टेलीफोन पर व्यय से किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की जाती है-

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों-

1. प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।
2. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों तथा प्रकरण से सम्बंधित समस्त शासनादेशों एवं सुसंगत नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो।
4. धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
5. प्रस्ताव के तकनीकी परीक्षण का उत्तरदायित्व आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ का होगा।
6. जेम पोर्टल की सभी शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा इसकी जिम्मेदारी आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ की होगी।

भवदीय,
अरविन्द सिंह
उप सचिव।

संख्या व दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. एडीशनल कमिश्नर(लेखा), राज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. संयुक्त आयुक्त (आई0टी0), राज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरविन्द सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in